तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5-10-17	पत्रावली पेश हुई आदेश सुनाया गया विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया ~~गया~~ जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखंड अधिकारी, लाखेरी (बून्दी)

वाद संख्या : 9/दावा
दायरा दिनांक : 24.01.14

पीठासीन अधिकारी - गरिमा लाटा
R.A.S.

बनाम

1. बाबूलाल आयु 42 वर्ष आ० अणदीलाल जाति तेली निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

– वादी

1. बद्रीलाल आ० छोगा लाल जाति मीणा निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2. रामेश्वर आ० छोगा लाल जाति मीणा निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3. पार्वती बाई पत्नी रामेश्वर जाति मीणा निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
4. हजारी बाई पत्नी बद्रीलाल जाति मीणा निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
5. कालूलाल आ० बद्रीलाल जाति मीणा निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
6. अखलेश कुमार आ० रामेश्वर जाति मीणा निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

– प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वाद अन्तर्गत धारा 92(क) आर.टी. एक्ट

निर्णय

दिनांक : 4.10.17

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 92(क) आर टी एक्ट के

प्रकाश......

तहत प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 42 रकबा 2.13 हैक्टर वाके ग्राम नैनाड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। नकल खसरा परिवर्तनशील वादपत्र के साथ संलग्न है जो वादपत्र का एक भाग है। वाद विषयक भूमि पर काबिज काश्त रहकर वादी कृषि लाभ प्राप्त करता हुआ पैनेल्टी राज्य सरकार में नियमानुसार जमा कराता हुआ चला आ रहा है तथा वर्तमान में वादी के द्वारा सरसों व तारामीरा की फसल मौके पर बो रखी है लेकिन प्रतिवादीगण काफी प्रभावशाली होने के कारण व वर्तमान में कृषि भूमि की कीमतें बढ़ जाने की वजह से उन्होंने वादी के विरुद्ध एक गैर कानूनी गिरोह बना रखा है जो जबरन ताकत के बल पर वादी को विवादित आराजी से बेदखल कर जबरन कब्जा करने पर आमदा है। दिनांक 19.07.2013 को वाद वर्णित आराजी पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल करने का नाजायज प्रयास किया गया। वादी गरीब काश्तकार है, परिवार का पालन-पोषण करने हेतु वाद विषयक आराजी के अलावा अन्य कोई आय का साधन नहीं है। प्रतिवादीगण 7.12.2013 को दिन के 1-1½ बजे करीब आकर वादी का पम्प सेट बन्द कर दिया व पानी के पाईप कुल्हाड़ी से काट दिये जब वादी ने प्रतिवादीगण से मना किया गया तो प्रतिवादीगण ने जान से मारने की धमकी दी कहा कि हम किसी हजीनामें को नहीं मानते। प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी गयी कि हम किसी भी किस्त पर वाद विषयक आराजी से वादी को बेदखल कर जबरन कब्जा करके वादी के द्वारा बोईगई फसल को भविष्य में काट लेंगे यही वादकारण है। वाद विषयक आराजी पर 20-25 वर्षों से वादी का कब्जाकाश्त प्रतिवादीगण व राजस्व अधिकारियों की जानकारी में चला आने से वादी को वाद विषयक आराजी के सम्बन्ध में सक्षम राजस्व अधिकारियों से अपने कब्जे का नियमन वादी के पक्ष में करवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।

वादी को वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादीगण को जमें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने बाबत प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करे व प्रतिवादीगण को जमें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

कराया...

Scanned by CamScanner

किया जावे कि वह जबरन ताकत के बल पर वादी को बेदखल कर वाद विषयक आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा नही करे एवं वाद वर्णित आराजी पर वादी को काश्तकारी का कार्य करने से नही रोके व वादी की फसल को जबरन ताकत के बल पर नही काटे और वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखल अन्दाजी पैदा नही करे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी के बाद नियत पेशी पर अधिवक्ता व प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2060 प्रदर्श-1, माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 2-12-2014 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-2, नकल प्रार्थना पत्र प्रदर्श 3, फर्द मौका रिपोर्ट प्रदर्श-4, धारा 107, 116(3) CrPC, इस्तगासा सम्पूर्ण की सत्यापित प्रति प्रदर्श-5 पेश की तथा मौखिक साक्ष्य में वादी बाबूलाल ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी का वाद विषयक आराजी पर 20-25 वर्षों से कब्जा है। वादी को बेदखल करने का अधिकार केवल भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्राप्त है प्रतिवादीगण को वाद विषयक आराजी से वादी को बेदखल करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। वादी के अधिवक्ता ने कथन किया कि राज॰ काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 में केवल एक भूमिधारी को अपने अधिकारो पर आक्रमण किये जाने पर या ऐसे आक्रमण की संभावना होने पर व्यादेश प्राप्त करने का अधिकार

क्रमशः....

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

किया गया है। अन्य मामलों में किसी व्यक्ति को व्यादेश प्राप्त करने के लिए आर टी एक्ट की धारा 92 क द्वारा अधिकार दिया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र का नियत पेशी पर अनुपस्थित रहकर जवाबदावा भी नही दिया गया है। अतः वादी का वादपत्र डीक्री किया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। वाद पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रदर्श 1 - खसरा परिवर्तन गैर मुस्तकिल काश्त संवत् 2060 में ख.सं. 36 व 42 में बाबुलाल आ० अणदीलाल दर्ज है। प्रदर्श-2 -न्यायालय द्वारा जारी धारा 212 के अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा ख.नं. 42 के 2.13 हैक्टर के लिए आदेश जारी किया गया है। प्रदर्श-3 धारा 212 आर टी एक्ट का प्रार्थना पत्र है। प्रदर्श 4 फर्द मौका दिनांक 28.10.13 है। प्रदर्श 5 107, 116 (3) का CrPC के तहत इस्तगासा है।

प्रदर्श 1. खसरा परिवर्तन गैर मुस्तकिल काश्त में ख.सं. 36 व 42 में रकबा क्रमशः 0.35 है व 1.10 है. पर काश्त है। खसरा परिवर्तन से ज्ञात है कि वादी बाबूलाल ने राजकीय अनआवंटित भूमि के खसरा नं. 36 व 42 रकबा 1.45 है पर अनाधिकृत काश्त कर अतिचार किया है। इस प्रकार वादी एक अतिचारी की हैसियत से उक्त विवादित खसरा पर कब्जा काश्त संवत् 2060 मे की है। यह भी उल्लेखनीय है कि ख.सं. 42 का कुल रकबा 2.13 है. है जबकि काश्त केवल 1.10 है. पर ही संवत् 2060 में हुयी है। वादी द्वारा वादपत्र में 20-25 वर्षो से कब्जा काश्त होने का कथन किया लेकिन कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणस्वरूप पेश नही किया है। प्रदर्श 5 जो कि दाण्डिक मामले 107, 116 (3) CrPC के इस्तगासा है जो साक्ष्य में दिया गया है, पर एकदम से विश्वास नही

क्रमशः...

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

जो वाद पत्र का एक भाग है ।

§ 2§ यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि पर

क्रमशः----- 2

किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय राजस्व के दस्तावेजो जो सामने आया है का ध्यान रखता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 92 A में के प्रावधान

"92 क व्यादेश के लिए वाद - इस अधिनियम में अन्यत्र यथा विनिर्दिष्ट उपबंधित को छोड़कर, कोई व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अपने समस्त या किन्ही अधिकारों के बारे में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 के अध्याय 10 के उपबंधों के अनुसार और उनके अध्यधीन व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।"

इस प्रकार उक्त धारा 92 क के अधीन व्यादेश का वाद इस अधिनियम के अधीन दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए ही है।

वादी की स्थिति की खसरा परिवर्तन गैर मुस्तकिल काश्त से एक अतिचारी की है। अतिचारी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई अधिकार नही है। वादी के वाद विषयक अरजी पर कोई अधिकार सृजित नही होते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद खारीज किया जाता है। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

आखिरी डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नैनवा(?)

व इजलास सुश्री गरिमा लाटा(?) R.A.S.

1 बाबूलाल पुत्र जगदीलाल जाति तैली निवासी नैनवा जिला बून्दी

वादी

बनाम 1 बद्रीलाल पुत्र छोगालाल जाति मीणा निवासी नैनवा तहसील इन्द्रगढ़ [illegible]

प्रतिवादीगण

PTO

दावा बाबत 92 क आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 9 / दावा / 2014 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजिरी श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 4-10-2017 माह .... सन .... को जारी की गई।

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी नैनवा (बून्दी)

मुहर ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

2. रामेश्वर पुत्र छोगालाल जाति मीणा निवासी -
3. पार्वतीबाई पत्नी रामेश्वर जाति मीणा निवासी
4. हजारीबाई पत्नी बदरीलाल जाति मीणा निवासी
5. कालूलाल पुत्र बड़ीलाल जाति मीणा निवासी
6. अखलेश कुमार पुत्र रामेश्वर जाति मीणा निवासी

प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner